

संपत्ति कर के बड़े बकायादारों पर ननि ने की कुर्की की कार्यवाही

जोन -3 के 5 स्थानों पर पहुंची टीम, एक बकायेदार पर कुर्की, शेष ने किए मौके पर भुगतान

नवभारत न्यूज
रीवा, 8 जनवरी, नगर निगम रीवा की राजस्व टीम ने संपत्तिकर के बड़े बकायादारों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए अंतिम सूचना के बाद भी भुगतान न करने पर चल-अचल संपत्तियों की कुर्की की कार्यवाही की। वसूली अभियान को तेज करते हुए जोन क्रमांक 03 में 5 स्थानों पर नगर निगम की टीम कुर्की की कार्यवाही हेतु पहुंची।

जिसमें 1 बकायादार के यहां कुर्की की कार्यवाही की गई, शेष चार ने बकाया राशि जमा की। जिससे बड़े राशि मौके पर नगर निगम कोष में जमा हुई। यह कार्यवाही राजस्व दल, अतिक्रमण एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संपन्न की गई। इस दौरान नगर निगम उपायुक्त,



राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, अतिक्रमण प्रभारी एवं उपराजस्व निरीक्षक उपस्थित रहे। कार्यवाही जोन क्रमांक 03 में छोटेलाल सिंह, पिता शंभू प्रसाद सिंह द्वारा संपत्तिकर की बकाया

राशि जमा नहीं किए जाने पर उनकी चल संपत्ति जब्त की गई। जिनमें कुर्की के दौरान उनकी 2 मोटर साइकिल एवं 1 स्कूटी को जब्त कर नगर निगम के सुपुर्द किया गया। इसी क्रम में विष्णु

प्रसाद मिश्रा, पिता रामाश्रय मिश्रा पर कुल 78,807 का संपत्तिकर बकाया था। कुर्की की कार्यवाही के दौरान उन्होंने मौके पर ही राशि नगर निगम में जमा कराई। कैलाश नाथ मिश्रा, पिता राम

विलास मिश्रा पर 1,37,353 की बकाया राशि थी कार्रवाई के समय उनके द्वारा भी राशि चेक व नगद के माध्यम से नगर निगम कोष में जमा कराई गई। श्रीमती सरोज सिंह पति भूपेन्द्र सिंह की कुल बकाया राशि 1,47,000 थी, जिसके विरुद्ध उन्होंने मौके पर बकाया राशि का भुगतान किया। वहीं अभिनव मिश्रा, पिता मोतीलाल मिश्रा द्वारा भी मौके पर ही चेक के माध्यम से संपत्तिकर की बकाया राशि नगर निगम में जमा की गई। इसी कड़ी में 09 जनवरी को जोन क्रमांक 02 में श्रीमती गिरजा देवी, कुपालदास (मृतक) द्वारा अशोक मलकानी, मृगेन्द्र सिंह, सुब्रमणि तिवारी, श्रीमती रामवती मिश्रा, अभिमान सिंह, श्रीमती कुसुम सिंह, संतोष कुमार पटेल, संजय सिंह, हरिशंकर सिंह सहित अन्य का

भुक्तान शेष है जो अब तक अदा नहीं की गई है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 के अंतर्गत देयक एवं धारा 174 के अंतर्गत मांग-पत्र तथा अंतिम सूचना पत्र के माध्यम से संबंधित करदाताओं को बार-बार सूचित किया जाता रहा है। इसके बावजूद संबंधित व्यक्तियों द्वारा न ही निर्धारित राशि जमा की गई, न ही किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत की गई और न ही मांग के विरुद्ध अधिनियम की धारा 184 के अंतर्गत अपील दायर की गई। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अध्याय 12 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, संपत्तिकर की वसूली हेतु नगर निगम को चल एवं अचल संपत्तियों के अधिहरण/आसेध की जावेगी।



उप मुख्यमंत्री ने कैसर यूनिट तथा अन्य निर्माण कार्यों का लिया जायजा

नवभारत न्यूज
रीवा, 8 जनवरी, उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने संजय गांधी चिकित्सालय परिसर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का जायजा लिया। कैसर यूनिट का निरीक्षण करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कैसर यूनिट का शेष निर्माण कार्य तेजी से पूरा कराए।

कैसर यूनिट का शुभारंभ होते ही रीवा में गंभीर कैसर रोगियों को उपचार की सुविधा मिलने लगेगी। जिन रोगियों को कैसर के उपचार के लिए अभी महानगरों की ओर जाना पड़ता है उन्हें रीवा में ही उपचार की सुविधा मिलेगी। कैसर यूनिट के लिए आधुनिकतम लीनेक मशीन तथा अन्य चिकित्सा उपकरण खरीदे जा रहे हैं। भवन का निर्माण कार्य पूरा होते ही आधुनिकतम

चिकित्सा उपकरण स्थापित कर दिए जाएंगे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल के विस्तार के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने इंजीनियरों तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को आवश्यक निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कैसर स्पेशलिटी हास्पिटल जटिल रोगों के उपचार का केन्द्र बन गया है। इसके विस्तार से बड़ी संख्या में रोगियों को उपचार की सुविधा मिलेगी। संजय गांधी हास्पिटल के विस्तार का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। रीवा को मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। निरीक्षण के समय मेडिकल कालेज के डीन डॉ सुनील अग्रवाल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ यलेश त्रिपाठी उपस्थित रहे।

बेटे की शादी से पहले चोर ने पार कर दिए लाखों के जेवरत

नवभारत न्यूज
रीवा, 8 जनवरी, रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लखौरीबाग में बुधवार को तड़के अज्ञात चोरों ने सुने आवास का ताला तोड़कर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।

घटना के बाद आरोपी फरार हो गए हैं पीड़ित ने चोरी की

रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कर दी गई है पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। चोरी की इस वारदात के संबंध में लखौरीबाग निवासी लल्लू प्रसाद साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि वह पेपर वितरण का कार्य करते हैं। रोजाना की तरह बुधवार को तड़के तकरीबन साढ़े चार बजे वह घर में ताला लगाकर पेपर

वितरण करने चले गए थे। सुबह तकरीबन 7 बजे उन्हें घर में चोरी होने की जानकारी हुई जिसके बाद वह वापस आए तो पाया कि अज्ञात चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर उभरते रूखे सोने चांदी के जेवरत पार कर दिए हैं। पीड़ित लल्लू प्रसाद साहू ने बताया कि उनके पुत्र की शादी होनी थी जिसके लिए उन्होंने जेवरत

बनाया रखे थे। अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए कीमती सोने चांदी के जेवरत पार कर दिए हैं। घटना की रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कर दी गई है। गौरतलब है कि सिटी कोतवाली थाने में लगातार चोरी की वारदात हो रही है। लेकिन अधिकतर मामलों में पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाती है।



उप मुख्यमंत्री ने सुनी आमजनों की समस्याएं

रीवा, उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने निज निवास अमहिया में जनता दर्शन कार्यक्रम में आमजनों से भेंट की। उप मुख्यमंत्री आमजनता की समस्याएं सुनी तथा आवेदन पत्र प्राप्त किए। उप मुख्यमंत्री ने आमजनता की समस्याओं के निराकरण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए।

दिव्यांगों के कल्याण के लिए पर्पल फेयर आज

रीवा, दिव्यांगों के कल्याण के लिए 9 जनवरी को शासकीय उत्कृष्ट मार्गण्ड उपायुक्त एक में पर्पल फेयर का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत संचालित समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केन्द्र छतरपुर द्वारा किया जा रहा है। पर्पल फेयर में पात्र दिव्यांगों को सहायक उपकरणों का वितरण किया जाएगा। मेले में दिव्यांग उद्यमियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी तथा शासन की विभिन्न योजनाओं की भी प्रदर्शनी लगाई जा रही है। पर्पल फेयर में दिव्यांगजनों के लिए सांस्कृतिक एवं खेलकूद के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

ननि से अलाव के लिए लकड़ी व्यवस्था की मांग

रीवा, ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लाक म.प्र. के प्रदेश सचिव गफूर खान ने कहा कि रीवा नगर निगम प्रत्येक वर्ष ठंडी के मौसम में जनहितार्थ सार्वजनिक स्थानों पर जगह-जगह अलाव हेतु लकड़ी की व्यवस्था करती थी लेकिन इस बार देखने में यह आ रहा है कि इस भीषण ठंड में कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं देखी जा रही है जिससे गरीब मजदूर वर्ग के लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं। गफूर खान ने नगर निगम आयुक्त एवं महापौर से पड़ रही भीषण ठंड में तत्काल अलाव हेतु लकड़ी की व्यवस्था करने की मांग की है।

चित्रांगन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एवं नाट्य महोत्सव 28 से

रीवा, कला, संस्कृति एवं पर्यटन की ऐतिहासिक नगरी रीवा एक बार फिर कला, सिनेमा और रंगमंच के महाकुंभ का गवाह बने जा रही है। 'रंग उत्सव नाट्य समिति' द्वारा आयोजित 'चित्रांगन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एवं नाट्य महोत्सव' की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। यह महोत्सव 28 जनवरी से 01 फरवरी 2025 तक स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। रंग उत्सव नाट्य समिति द्वारा आयोजित चित्रांगन फिल्म एवं नाट्य महोत्सव आयोजन के मार्गदर्शक प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल हैं। आयोजकों ने यह भी बताया कि कला प्रेमियों के लिए इस महोत्सव में प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बन सकें।



सदस्यता अभियान चलाने बैठक में दिया गया जोर

रीवा, प्रोग्रेसिव पेशनर्स एसोसिएशन जिला शाखा रीवा की बैठक संघ कार्यालय कोटी कम्पाउंड रीवा में जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपप्रान्ताध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि प्रान्तीय निकाय से प्राप्त निर्देशानुसार जनवरी माह में पोस्टकार्ड/लिफाफा अभियान चलाया जाकर अपनी पीढ़ा से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया जायेगा। जिससे सभी पेशनरों को 4 सूत्री मांगों का पत्र प्रेषित करना अनिवार्य है। बैठक में सघन सदस्यता अभियान चलाये जाने पर भी बल दिया गया। सदस्यता बढ़ने से संगठन को मजबूत बनाया जा सकता है, जब तक हम सब संगठित नहीं होंगे तब तक हमारी मांगों का निराकरण होना संभव नहीं है। यह बात श्री तिवारी द्वारा बैठक को सम्बोधित करते समय बताया गया। बैठक में रामपाल शुक्ल, नरेश द्विवेदी, उषाकान्त तिवारी, सी.एम. शर्मा, राजकिशोर पाण्डेय, एम.पी. अमिनहोत्री, यदुवीर प्रसाद द्विवेदी, रामगोपाल मिश्रा, नागेन्द्र प्रसाद शुक्ल, मंगलेश्वर सिंह, मो. न्युजुल्ला खान, दामोदर प्रसाद पयासी, इन्द्रभान साहू, लल्ला प्रसाद वर्मा, जानकी प्रसाद पाण्डेय, राममित्र शुक्ल, गिरीश प्रसाद मिश्रा, के.पी. मिश्रा, राजमणि जैसवाल, कामाक्षी प्रसाद साठवत, अमिरुल्ला खान आदि मौजूद रहे।

धान के अवैध भण्डारण पर तीन के विरुद्ध दर्ज हुई एफआईआर

नवभारत न्यूज
रीवा, 8 जनवरी, समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन की लगातार निगरानी की जा रही है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने त्योंशर तहसील में खरीदी केन्द्र सहकारी समिति अमाव दो बड़ागांव में 543 बोरी अवैध धान भण्डारण पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए।

धान का अवैध रूप से भण्डारण करने वाले समिति प्रबंधक राजेन्द्र शर्मा, खरीदी केन्द्र प्रभारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा उर्फ धीरज तथा धान का अवैध

रूप से भण्डारण करने वाले प्रमोद तिवारी के विरुद्ध थाना सोहागी में एफआईआर दर्ज की गई है। एसडीएम त्योंशर पीएस त्रिपाठी द्वारा 30 दिसम्बर को सेवा सहकारी समिति अमाव दो बड़ागांव का निरीक्षण करने पर 543 बोरी धान का अवैध भण्डारण पाया गया। समिति प्रबंधक और खरीदी केन्द्र प्रभारी धान के संबंध में संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। धान उपार्जन में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही जा रही है।



सिविल अस्पताल मऊगंज का निरीक्षण करते कलेक्टर संजय जैन

कलेक्टर ने सिविल अस्पताल मऊगंज का किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज
मऊगंज, 8 जनवरी, कलेक्टर संजय कुमार जैन ने सिविल अस्पताल मऊगंज का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और निर्माणाधीन दो सौ बिस्तर वाले अस्पताल भवन के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल भवन का कार्य तेजी से कराए ताकि क्षेत्रवासियों को शीघ्र ही आवश्यक एवं उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें और गुणवत्ता मानकों का विशेष रूप से पालन कराएं। अस्पताल में स्वच्छता आवश्यक है। अस्पताल परिसर को साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखें जिससे संक्रमण की संभावना न रहे। परिसर में नियमित सफाई, और कचरा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने

आवश्यक एवं उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें और गुणवत्ता मानकों का विशेष रूप से पालन कराएं। अस्पताल में स्वच्छता आवश्यक है। अस्पताल परिसर को साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखें जिससे संक्रमण की संभावना न रहे। परिसर में नियमित सफाई, और कचरा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने

ओपीडी, आपातकालीन कक्ष, महिला एवं पुरुष वार्ड, प्रसूति कक्ष, दवा वितरण काउंटर, लैब एवं अन्य कक्षों का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों एवं उनके परिजनों से संवाद कर उपचार की गुणवत्ता, दवाओं की उपलब्धता तथा स्टाफ की उपस्थिति के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने चिकित्सकों को मरीजों के उपचार में संवेदनशील रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को समय पर उचित

चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। दवाओं और जांच सुविधाओं की उपलब्धता और आवश्यक उपकरणों के सुचारू संचालन पर ध्यान रखें। गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं एवं गंभीर रोगियों की विशेष देखभाल सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान डिट्टी कलेक्टर पवन गौरैया, बीएमओ डॉ. प्रद्युम्न शुक्ला सहित अन्य चिकित्सक और एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के एजेण्डा बिन्दुओं में विभाग निचले पायदान पर न रहे: पाल

नवभारत न्यूज
रीवा, 8 जनवरी, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सभी अधिकारी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के एजेण्डा बिन्दुओं पर तत्परता से कार्यवाही करें तथा कोई भी विभाग निचे पायदान में न रहे।




वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। विभागीय रैंकिंग में आवश्यक सुधार करें तथा जो विभाग निचे रहेंगे उनका जिम्मेदारी तय की जायेगी। कलेक्टर में आयोजित बैठक में

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कम पोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के संबंध में प्रयासों को गति दें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गर्भवती महिलाओं के समय पर पंजीयन, गंभीर एनीमिया महिलाओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के संबंध में तत्परता से कार्यवाही करें। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर सहित अधिकारी उपस्थित रहे।

रजिस्ट्री के शेष प्रकरणों का ऑनलाइन पंजीयन करारकर किसानों की जमीन की मैपिंग कराये। पराली प्रबंधन में की गई कार्यवाही से अवगत कराएँ।

पुण्यतिथि पर संगोष्ठी 19 को अमानक खाद्य पदार्थ बिक्री करने वालों पर लगा जुर्माना

नवभारत न्यूज
रीवा, 8 जनवरी, विगत वर्षों के भाँति 19 जनवरी को विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्व. श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की 08 वीं पुण्यतिथि पर संगोष्ठी उनके अमहिया स्थित आवास पर दोपहर 12:00 बजे आयोजित की गयी है।



कांग्रेस जनों द्वारा व्यापक रूप से प्रकाश डाला जावेगा। स्व. श्रीयुत तिवारी की पौत्रवधु सिरमौर क्षेत्र की पूर्व प्रत्याशी डॉ अरुणा विवेक तिवारी बबला ने सभी कांग्रेस जनों एवं बाबा जी के शुभ चिंतकों से समय पर पहुंचने की अपील की है।

नवभारत न्यूज
मऊगंज, 8 जनवरी, अपर कलेक्टर मऊगंज पीके पाण्डेय ने अमानक खाद्यान्न विक्रय करने वाले 10 दुकानदारों पर जुर्माने के आदेश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दुकानों तथा होटलों में खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए।

जुर्माने की राशि सात दिन की समय सीमा में जमा न करने पर वसूली की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार पंकज गुप्ता संचालक पंकज दावा हनुमना पर 10 हजार रुपए, राजकिशोर पटेल संचालक राजू होटल नईगाड़ी पर 20 हजार रुपए, बृजेश यादव संचालक यादव डेयरी बस स्टैंड मऊगंज पर 11 हजार रुपए तथा

राजेश कुमार गुप्ता संचालक राजेश किराना स्टोर खटखरी पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह सत्यनारायण गुप्ता संचालक ओम इंटरप्राइजेज बरहटा पर 11 हजार रुपए, अनिल कुमार गुप्ता संचालक रामगोपाल मिष्ठान भण्डार देवतालाब पर 10 हजार रुपए, राजेश कुमार केशरवानी संचालक राजेश किराना बस स्टैंड हनुमना पर 11 हजार रुपए एवं महेश गुप्ता संचालक महेश किराना स्टोर खटखरी पर 10 हजार रुपए, धर्मेन्द्र कुमार साहू संचालक साहू

होटल बिड़ौली गहरवान पर 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। शेषमणि गुप्ता संचालक बबलू मिष्ठान भण्डार देवतालाब पर 10 हजार रुपए, राजेश कुमार केशरवानी संचालक राजेश किराना बस स्टैंड हनुमना पर 11 हजार रुपए एवं महेश गुप्ता संचालक महेश किराना स्टोर खटखरी पर 10 हजार रुपए, धर्मेन्द्र कुमार साहू संचालक साहू